

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आप.अ. 684/2012

सुरक्षित: 24 फरवरी, 2014

निर्णय: 03 मार्च, 2014

रंजीत

..... अपीलकर्ता

द्वारा : श्री एस.डी.दीक्षित, अधिवक्ता

बनाम

राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)

...प्रत्यर्थी

द्वारा : श्री ओ.पी. सक्सेना, उप.नि. खालिद
अख्तर के साथ राज्य के लिए
अति.लो.अभि., पुलिस थाना बारा
हिंदू राव।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपा शर्मा

निर्णय:

1. इस मामले में पुलिस की जांच संस्था द्वारा 20 दिसंबर, 2010 को शुरू की गई थी। उस दिन, पुलिस थाना बारा हिंदू राव के कांस्टेबल बाबू लाल के साथ कांस्टेबल विनोद, त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यू. आर. टी.) के सदस्यों के साथ आज़ाद मार्केट रेड लाइट पर ड्यूटी में थे। शाम करीब 7 बजे हेड कांस्टेबल वेद प्रकाश घायल अवस्था में उनके पास आए और बताया कि उन्हें रेलवे ट्रैक पर चाकू मारा गया है। यह सूचना ड्यूटी ऑफिसर, थाना बारा हिंदू राव को

मोबाइल फोन पर दी गई और डीडी सं. 20ए दर्ज किया गया। इसके बाद दोनों ने घायल व्यक्ति को त्वरित प्रतिक्रिया दल वाहन से हिंदू राव अस्पताल पहुंचाया और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उप.नि. गंगा धर और उप.नि.रोहित अस्पताल पहुंचे। घायल को बयान के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। थानाध्यक्ष/निरीक्षक सतीश भारद्वाज भी अस्पताल पहुंचे। इसके बाद वे रेलवे ट्रैक पर गये। वहाँ कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला। वहाँ अंधेरा हो गया था। डीडी सं. 22ए पर एक पृष्ठांकन किया गया था और रुक्का तैयार किया गया और इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। घायल हेड कांस्टेबल वेदप्रकाश की हालत खराब थी और उन्हें तुरंत ऑपरेशन की आवश्यकता थी। अभि.सा.1 कांस्टेबल बाबू लाल ने ऑपरेशन के लिए सहमति दी। अस्पताल से कुछ पार्सल/पुलिंदा जब्त किए गए। 23.12.2011 को, घायल का बयान दर्ज किया गया था। उसने अपने बयान में अपीलकर्ता का नाम नहीं लिया था। इसके बाद 25 दिसंबर, 2010 को अपीलकर्ता सहा.उप.निरीक्षक एस.के.श्रीवास्तव के साथ कांस्टेबल सज्जन और हेड कांस्टेबल नरेंद्र द्वारा गिरफ्तार किया गया, जो एएटीएस केन्द्रीय जिला में धारा 41.1 (क) दं.प्र.सं. के तहत तैनात थे। अपने प्रकटीकरण बयान में उसने इस घटना के बारे में खुलासा किया। उसने यह भी खुलासा किया था कि उसका एक दोस्त भी इसमें शामिल था जिसने उस वस्तु को उठाया जिसे घायल ने रेलवे लाइन पर रखा था और भाग गया और उसने भी अपने दोस्त का पीछा किया था। अपीलकर्ता के प्रकटीकरण

बयान पर वह इस मामले में शामिल पाया गया। इस मामले में उसे 26 दिसंबर, 2010 को गिरफ्तार किया गया था और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। जब 3.1.2011 को शिनाख्त परीक्षण परेड (टीआईपी) आयोजित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था, तब वह न्यायिक हिरासत में थे। अपीलकर्ता ने इस तर्क पर टीआईपी में भाग लेने से इनकार कर दिया कि उसे अस्पताल में घायल व्यक्ति को दिखाया गया था। उसे कानूनी चेतावनी दी गई थी कि टी. आई. पी. से इनकार करने के उसके बयान का उपयोग उसके खिलाफ सबूत के तौर पर किया जाएगा। कानूनी चेतावनी के बावजूद, अपीलकर्ता ने टी. आई. पी. में भाग लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद उस दिन अपीलकर्ता की पुलिस हिरासत की मांग की गई और उसे हिंदू राव अस्पताल ले जाया गया जहां घायल को भर्ती कराया गया था। शाम करीब 5:30 बजे घायल को गहन देखभाल इकाई से वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। अपीलकर्ता को घायल को दिखाया गया। घायल ने अपीलकर्ता की पहचान उसके हमलावर के रूप में की और एक पहचान ज्ञापन तैयार किया गया।

2. अपीलकर्ता के साथी, जिसने घायल का इन्वर्टर चुराया था, को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। जाँच पूरा होने के बाद, अपीलकर्ता के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 307/379/34 के तहत चालान दायर किया गया था।

3. इन अपराधों के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप तय किए गए। उसने आरोपों में खुद को निर्दोष बताया। अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों की जांच की

थी। सभी अभियोजन पक्ष के गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया था। धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत अपीलकर्ता का बयान भी दर्ज किया गया था। उसने अपने खिलाफ सभी सबूतों को गलत बताते हुए इनकार कर दिया था और दलील दी थी कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया था और वह निर्दोष था। उसने यह दलील दी थी कि वह रेलवे पटरी पर नहीं गया था और उसने कोई प्रकटीकरण बयान नहीं दिया था और बलपूर्वक खाली कागजों पर प्राप्त उसके हस्ताक्षर प्राप्त किए थे; उसने न्यायालय में पेशी से पहले उसने अपनी चोट भी दिखाए और उसने बताया कि घायल व्यक्ति हेड कांस्टेबल वेद प्रकाश ने उसे गलत तरीके से फंसाया था क्योंकि उसने उसकी अवैध मांग को पूरा नहीं किया था। अपीलकर्ता ने बचाव पक्ष के गवाह के रूप में श्री पुष्पेंद्र कुमार शर्मा से पूछताछ की है। इस गवाह ने कहा है कि किशन गंज रेलवे स्टेशन पर, जहां वह अपने दोस्त सनी को विदा करने गया था, उसने लगभग 40-42 वर्षीय एक बूढ़े आदमी और 27-28 साल की उम्र के एक लड़के के बीच झगड़ा देखा, जिसके हाथ में चाकू था। वह उनके पास पहुंचा और उसने लड़के को बूढ़े आदमी को चाकू मारते देखा। रिकॉर्ड पर रखे सभी साक्ष्यों पर विचार करने और अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत बचाव पक्ष को ध्यान में रखने के बाद, विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि भा.दं.सं. सी. की धारा 307/379 के तहत आरोप अपीलकर्ता के खिलाफ साबित होते हैं और इन दोनों धाराओं के तहत अपीलकर्ता के दोष पर पुनर्विचार पर पहुंचते हैं।

4. न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता का मुख्य तर्क यह है कि उसे झूठा फंसाया गया है, तथा यह दोषसिद्धि केवल अभि.सा.7 द्वारा न्यायालय में अपीलकर्ता की पहचान पर आधारित है। शिनाख्त परीक्षण परेड में भाग लेने से इनकार करने के कारण उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि उसे 28.12.2010 को अस्पताल में घायल अवस्था में दिखाया गया था। आगे यह तर्क दिया जाता है कि उससे चाकू और चोरी की कोई वस्तु बरामदगी नहीं हुई है। इसलिए, उसकी सजा विधि की दृष्टि से गलत है।

5. राज्य के लिए विद्वान अति.लो.अभि. की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि अपीलकर्ता को 3.1.2011 से पहले कभी भी घायल व्यक्ति को नहीं दिखाया गया था। टी. आई. पी. में भाग लेने से इनकार करने से उसके खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है और न्यायालय में घायल अभि.सा. 7 द्वारा उसकी पहचान की गई है और इस मामले में आरोपी के गलत निहितार्थ हेतु सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है।

6. मैंने तर्कों को सुना है और प्रासंगिक रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

7. रिकॉर्ड में जो तथ्य साबित हुए हैं, वे यह हैं कि हेड कांस्टेबल वेद प्रकाश को किशनगंज और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर शाम 6:30 बजे चाकू मारा गया था। रिकॉर्ड पर जो तथ्य साबित हुए हैं, वे यह हैं कि हेड कांस्टेबल वेद प्रकाश को 20.12.2010 को शाम 6.30 बजे किशन

गंज और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर चाकू घोंपा गया था। घायल अभि.सा. 7 ने यह तथ्य स्पष्ट रूप से बताया है और उसके बयान की सत्यता पर संदेह करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। उनके चिकित्सा विधिक मामला प्र.अभि.सा.4/ए ने उन्हें लगी चोटों के बारे में उनकी गवाही की पुष्टि की है। अभि.सा.7 ने यह भी बयान दिया है कि जिस समय उस पर हमला किया गया था, उस समय वह इन्वर्टर जिसे उसने बाजार से खरीदा था उसे लिए हुए रेलवे पटरी पर आ रहा था। वह वर्दी में था क्योंकि वह अपनी इयूटी पूरी करके लौट रहा था। उसने एक व्यक्ति को हाथ में चाकू लिए खड़ा देखा। उस व्यक्ति को किसी अपराध करने से रोकने के लिए, वह उस व्यक्ति के पास गया और उसके हाथ से चाकू छीनने की कोशिश की। उस व्यक्ति ने उसे चाकू से घोंपना शुरू कर दिया। यहां तक कि बचाव पक्ष के गवाह प्र.सा.1 ने भी रेलवे ट्रैक पर 20.12.2010 को छुरा घोंपने की घटना के बारे में गवाही दी है। एकमात्र सवाल यह है कि अभि.सा.7 का हमलावर कौन है।

8. अपीलकर्ता का एकमात्र तर्क यह है कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है और टी. आई. पी. में भाग लेने से इनकार करने पर कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि उसे घायल दिखाया गया था।

9. ए. आई. आर.1988 एस. सी.345 के मामले *हरि नाथ बनाम यू. पी. राज्य*, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि परीक्षण पहचान का साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत स्वीकार्य है। शीर्ष न्यायालय ने आगे

ए.आई.आर. 1972 एस.सी. 283 शीर्षक एस.के. हासिब बनाम बिहार राज्य

मामले में कहा है कि पहचान का साक्ष्य केवल न्यायालय में मौखिक गवाही की पुष्टि करता है और उसे मजबूत करता है जो केवल पहचान के रूप में प्राथमिक और ठोस सबूत है। न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

‘...शिनाख्त परीक्षण का उद्देश्य उस साक्ष्य का परीक्षण करना है, जिसका सुरक्षित नियम है कि अभियुक्त की पहचान के बारे में न्यायालय में गवाह की शपथ गवाही, जो उसके लिए एक अजनबी है, एक सामान्य नियम के रूप में, पहले की पहचान कार्यवाही के रूप में पुष्टि की आवश्यकता होती है।’

10. सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी घोषणाओं में परीक्षण पहचान आयोजित करने के उद्देश्य पर आगे चर्चा की है। मामले में (1971) 2 एस. सी. सी. 715 **रामेश्वर सिंह बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य** ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

‘...यह याद रखना चाहिए कि गवाह का मूल साक्ष्य न्यायालय में उसका साक्ष्य होता है, लेकिन जब आरोपी व्यक्ति संबंधित गवाह पहले से आरोपी के पहचान का नहीं होता है, तो आरोपी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद गवाह द्वारा उसकी पहचान करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे जाँच संस्था को यह आश्वासन मिलता है कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है, साथ ही इससे बाद में न्यायालय में सुनवाई के दौरान गवाह द्वारा दिए जाने वाले साक्ष्य की पुष्टि भी होती है।’

11. सर्वोच्च न्यायालय ने आगे शिनाख्त परेड का उद्देश्य निर्धारित किया है और मामले 7 (2000) 1 एस. सी. सी. 471 में **महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेश** ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

“हम स्वयं को स्मरण दिलाते हैं कि शिनाख्त परेड मुख्य रूप से न्यायालय के लिए नहीं होती है। वे जांच उद्देश्यों के लिए हैं। शिनाख्त परीक्षण परेड आयोजित करने का उद्देश्य दो तरफा है। पहला यह कि गवाहों को यह संतुष्टि हो सके कि जिस कैदी पर उन्हें संदेह है, वह वास्तव में वही है जिसे उन्होंने अपराध के दौरान देखा था। दूसरा जांच अधिकारियों को संतुष्ट करना है कि संदिग्ध वास्तविक व्यक्ति है जिसे गवाहों ने उक्त घटना के संबंध में देखा था।”

12. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि घायल व्यक्ति घटना की तिथि से पहले अपीलकर्ता को नहीं जानता था। यह भी एक प्रमाणित तथ्य है कि 20.12.2010 और बाद की तिथि पर घायल को बयान के लिए अयोग्य पाया गया था। इस मामले के जांच अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अस्पताल में धारा 161 दं.प्र.सं. के तहत केवल 23.12.2010 को घायल वेद प्रकाश का बयान दर्ज कर सकते हैं। जिरह में इंस्पेक्टर सतीश भारद्वाज, जिन्होंने 23.12.2010 पर घायलों का बयान दर्ज किया था, ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने अस्पताल के गहन चिकित्सा इकाई वार्ड में उक्त बयान दर्ज किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल उसी दिन, रिकॉर्ड करने के बाद घायल पुलिस के बयान से घटना क्रम का पता चला था। धारा 161

दं.प्र.सं.के तहत घायल ने अपने बयान में अपने हमलावर के नाम का खुलासा नहीं किया है और उसे केवल एक लड़के के रूप में संदर्भित किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब ए.ए.टी.एस. (एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वायड) सहा.उप.नि. ने अपीलकर्ता को धारा 41.1 (क) के तहत गिरफ्तार किया था, तब तक जाँच संस्था अभि.सा.7 के हमलावर की पहचान से अनजान थी। दं.प्र.सं. और अपना बयान दर्ज किया। यह अपीलकर्ता ही था जिसने अपने प्रकटीकरण बयान प्र.अभि.सा.11/ए में 20.12.2010 की घटना के बारे में विस्तार से खुलासा किया था। यह जानकारी पुलिस थाना बारा हिंदू राव को दी गई थी। तभी इस मामले के जांच अधिकारी को पता चला कि अभि.सा.7 का हमलावर अपीलकर्ता है। इसके बाद अपीलकर्ता को इस मामले में 26.12.2010 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया और उसके रिमांड कागजातों से पता चलता है कि उसी दिन उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और वह 3.1.2011 तक न्यायिक हिरासत में रहा। टी. आई. पी. आयोजित करने के आवेदन पर अपीलकर्ता ने विद्वान महानगर मजिस्ट्रेट (एम. एम.) के समक्ष टी. आई. पी. में भाग लेने से इनकार कर दिया। टी. आई. पी.(प्र.अभि.सा.13/ए) के रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलकर्ता को उस दिन न्यायिक हिरासत में पेश किया गया था। अपीलकर्ता द्वारा टी. आई. पी. से इनकार करने के बाद, उसकी पुलिस हिरासत की मांग की गई और उसे घायलों द्वारा पहचाने जाने के लिए हिंदू राव अस्पताल ले जाया गया। घायल ने विधिवत अपीलकर्ता की

पहचान अपने हमलावर के रूप में की और इस आशय का एक ज्ञापन प्र.अभि.सा.3/सी दर्ज किया गया। घायल अभि.सा. 7 ने भी अपीलकर्ता को अपने हमलावर के रूप में पहचाना है। टी.आई.पी. रखने में कोई देरी नहीं हुई। अपीलकर्ता को 26.12.2010 को गिरफ्तार किया गया था। 3.1.2011 को टी.आई.पी. आयोजित करने के लिए आवेदन किया गया था। लेकिन अपीलकर्ता ने टी.आई.पी. में भाग लेने से इनकार कर दिया था। उसने तर्क दिया कि उन्होंने टी.आई.पी. में भाग लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसे 28.12.2010 को अभि.सा.7 को दिखाया गया था। इस आशय का सुझाव उसने घायलों को उसकी जिरह में दिया था, हालाँकि टी.आई.पी. में भाग लेने से इनकार करते हुए उसने यह नहीं बताया कि अभि.सा.7 ने उसे किस तिथि को अस्पताल में देखा था। अपीलकर्ता की दलील है कि चूँकि उसे 28.12.2010 को घायलों को दिखाया गया था, इसलिए उसने टी.आई.पी. में भाग लेने से इनकार कर दिया और इस प्रकार उसके इनकार से उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकलता।

13. यह स्थापित कानून है कि बिना किसी उचित कारण के अपीलकर्ता की ओर से इनकार करने पर अपीलकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकलता है, जब तक कि अपीलकर्ता द्वारा यह नहीं दिखाया जाता है कि टी.आई.पी. आयोजित करना एक निरर्थक अभ्यास था क्योंकि उसे गवाह को दिखाया गया था। उक्त सिद्धांत को लागू करते हुए, यह देखना आवश्यक है कि क्या

अपीलकर्ता की ओर से टी.आई.पी. में भाग लेने से इस आधार पर इनकार करना कि उसे 28.12.2010 को गवाह को दिखाया गया था, उचित है। क्या उसे वास्तव में 26.12.2010 को गवाह अभि.सा.7(घायल) को दिखाया गया था। अपीलकर्ता की यह दलील रिकॉर्ड पर साबित तथ्यों के विपरीत है। अपीलकर्ता के प्रथम न्यायिक रिमांड कागजात से यह साबित होता है कि उसे इस मामले में 26.12.2010 को गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। वह 3.1.2011 तक न्यायिक हिरासत में रहा, जब उसके टी.आई.पी. में भाग लेने से इनकार करने के बाद उसकी पुलिस हिरासत रिमांड मांगी गई। इन तथ्यों से पता चलता है कि 28.12.2010 को अपीलकर्ता न्यायिक हिरासत में था और इस प्रकार पुलिस के पास अपीलकर्ता को घायल व्यक्ति को दिखाने के लिए उसे अस्पताल ले जाने का कोई अवसर नहीं था। अभि.सा.7 का निर्विवाद साक्ष्य है कि उसे 3.1.2011 को शाम 5.30 बजे ही आईसीयू से वार्ड में स्थानांतरित किया गया था और इसलिए उस दिन से पहले घायल व्यक्ति द्वारा अपीलकर्ता को देखने का कोई अवसर नहीं मिला था।

14. अपीलकर्ता द्वारा टी. आई. पी. में भाग लेने से इनकार करने के लिए दिया गया एक अन्य आधार यह है कि उसकी तस्वीरें पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी से पहले ही ले ली गई थीं और घायल व्यक्ति को दिखाया गया था। यह याचिका अपीलकर्ता द्वारा टी. आई. पी. में भाग लेने से इनकार करने के

समय नहीं ली गई थी। अपीलकर्ता ने विद्वान महानगर मजिस्ट्रेट को कहीं भी यह नहीं बताया है कि उसकी तस्वीरें ली गई थीं और अपीलकर्ता को दिखाई गई थीं। विद्वान महानगर मजिस्ट्रेट को उसका बयान था, "मैं टी.आई.पी. में भाग नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे अस्पताल में गवाहों ने देखा है"। इसलिए अपीलकर्ता की यह दलील बाद में सोची गई है। उसकी दलील इस तथ्य से भी झूठी साबित होती है कि इस आशय से संबंधित कोई सुझाव घायल को नहीं दिया गया था। अपीलकर्ता टी.आई.पी. में भाग लेने से इनकार को उचित ठहराने में विफल रहा है।

15. ऐसी परिस्थितियों में, उसके इंकार पर प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि अपीलकर्ता ने शिनाख्त परेड में शामिल होने के लिए सहमत हो गया होता तो घायल अभि.सा.7 उसे पहचान लेता। इस इनकार को कटघरे में घायल द्वारा अपीलकर्ता की पहचान के लिए पुष्ट करने वाले साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा, घायल द्वारा अपने हमलावर की गलत पहचान करने का कोई मकसद नहीं बताया गया है। अपीलकर्ता मेरे संज्ञान में ऐसा कोई सबूत लाने में विफल रहा है जो इस मामले में उसके झूठे आरोप का दूर से भी संकेत दे सके।

16. उसके चिकित्सा विधिक मामले के अनुसार अभि.सा.7 को निम्नलिखित चोटें आई थीं:

1. बाएँ घुटने पर 2 इंच लंबा घाव।
2. बायीं जांघ पर 8 इंच लंबा घाव।
3. अँगूठे के नीचे बाईं हथेली पर 2 इंच लंबा घाव
4. दाहिनी ओर जबड़े के नीचे (निचले जबड़े) के नीचे 3 इंच लंबा घाव।
5. गर्दन पर 1 इंच लंबा घाव।
6. खुली हुई आंत के साथ पेट पर दो घाव।

17. यह इस बात का प्रमाण है कि अभि.सा.7 की चिकित्सा की तात्कालिकता थी और अभि.सा.1 बाबू लाल की सहमति पर बिना किसी देरी के ऑपरेशन किया गया था। ऐसा लगता है कि डॉक्टर, वह अभि.सा. 7 के परिवार के सदस्यों के आने का इंतजार करते हुए कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। चोटों की प्रकृति को खतरनाक माना गया है और कहा गया है कि वे धारदार वस्तु से लगी हैं। चाकू का उपयोग, चोटों की गंभीरता, शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर छुरा घोंपना, ये सभी इस निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं कि अपीलकर्ता का इरादा मारने का था। इसलिए, विद्वान महानगर मजिस्ट्रेट के निष्कर्ष, जिसमें अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है, में कोई कमी नहीं है तथा यह ठोस साक्ष्यों पर आधारित है।

18. अपीलकर्ता का अगला तर्क यह है कि उसे भा.दं.सं. की धारा 379 के तहत अपराध के लिए झूठा फंसाया गया है। मैंने घायल के बयान को ध्यान से

पढ़ा है और उसके बयान से यह स्पष्ट है कि यह अपीलकर्ता नहीं था जो इन्वर्टर ले गया था। उसने स्वयं कहा था कि कोई अन्य लड़का इन्वर्टर ले गया था। अपीलकर्ता के कहने पर इन्वर्टर बरामद नहीं किया गया था। रिकॉर्ड पर इस आशय के अपीलकर्ता के प्रकटीकरण बयान के अलावा कुछ भी नहीं है कि जिस लड़के ने चोरी की वस्तु को हटाया था वह उसका साथी था। प्रकटीकरण कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 द्वारा प्रभावित है। अभि.सा.7 की गवाही से यह भी स्पष्ट है कि जिस लड़के ने इन्वर्टर चुराया था, उसने छुरा घोंपने में अपीलकर्ता की सहायता नहीं की थी। इस प्रकार इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि अपीलकर्ता और वह लड़का सहयोगी के रूप में या सामान इरादे को अंजाम देने के लिए काम कर रहे थे। इस प्रकार अपीलकर्ता को चोरी के अपराध से जोड़ने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है। अपीलकर्ता की दोषसिद्धि भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए टिकने योग्य नहीं है, अतः उसे रद्द किया जाता है।

19. जहां तक विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को दी गई सजा की मात्रा का सवाल है, सजा पर आदेश से यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने सजा सुनाते समय अपीलकर्ता की उम्र, सामाजिक पृष्ठभूमि, जिम्मेदारियों को ध्यान में रखा था। थाना बाड़ा हिंदू राव की प्रास्थिति रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता नशे का आदी और आदतन अपराधी है और पहले

11 मामलों में शामिल रहा है। उसे थाना देशबंधु गुप्ता रोड, नई दिल्ली द्वारा बुरे चरित्र का घोषित किया गया है।

20. इन्हें ध्यान में रखते हुए, मुझे भा.दं.सं. की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता को दी गई सजा की मात्रा में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

21. जबकि अपीलकर्ता भा.दं.सं. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और सजा का आदेश बनाए रखा जाता है, उसे भा.दं.सं. सी. की धारा 379 के तहत अपराध के लिए बरी कर दिया जाता है।

22. आदेश की प्रति विद्वान् विचारण न्यायालय को भेजी जाए।

23. पंजीकरण को आदेश की प्रति अधीक्षक, केंद्रीय जेल, तिहाड़ को भेजने का निर्देश दिया जाता है ताकि अपीलकर्ता को इसकी आपूर्ति की जा सके।

न्या. दीपा शर्मा,

मार्च 3, 2014

आरबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।